

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक नवम्बर, 2015

पत्र संख्या-1/एल1-10-05/2012 गृ0आ0 /विभागीय अधिसूचना सं0-7968, दिनांक 30.09.2014 द्वारा श्रीमती मंजू झा, भा0पु0से0 (1999), पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 15.10.2014 से 13.11.2014 तक कुल 30 (तीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ।

2. पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना द्वारा यह सूचित किया गया है कि श्रीमती झा कतिपय कारणवश उक्त स्वीकृत उपार्जित अवकाश का उपभोग नहीं कर सकी है ।

3. अतएव पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0-7968, दिनांक 30.09.2014 द्वारा दिनांक 15.10.2014 से 13.11.2014 तक कुल 30 (तीस) दिनों का स्वीकृत उपार्जित अवकाश को रद्द किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रामजीवन सत्यार्थी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-05/2012 गृ0आ0 /पटना, दिनांक नवम्बर, 2015
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-05/2012 गृ0आ0 /पटना, दिनांक नवम्बर, 2015
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-05/2012 गृ0आ0 8090 /पटना, दिनांक 30 नवम्बर, 2015
प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना/ श्रीमती मंजू झा, भा0पु0से0 (1999), पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


30/11/15
सरकार के उप सचिव।